समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

चर्तुदश बिहार विधान सभा का षष्ठ सत्र दिनांक १२ जुलाई, २००७ से प्रारम्भ होकर आज दिनांक १८ जुलाई, २००७ को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल ५ बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्‌भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित तथा सत्रोपरांत महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत १८ विधेयकों का ब्यौवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया। माननीय वित्त मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष २००७-०८ के लिए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी सदन में उपस्थापित की गयी । पाँच जन-नायकों यथा- स्व० चन्द्रशेखर, पूर्व प्रधानमंत्री, स्व० मंजय लाल बिहार के पूर्व राज्यमंत्री एवं सांसद, स्व० गिरीश नारायण मिश्र बिहार के पूर्व राज्यमंत्री, स्व० लाल बाबू प्रसाद बिहार के पूर्व राज्यमंत्री एवं स्व० बच्चा चौबे, पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया गया ।

वित्तीय वर्ष २००७-०८ के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद तथा मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

राजकीय विधेयकों में यथा- बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक,२००७, बिहार विनियोग (संख्या-३) विधेयक, २००७, बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, २००७ एवं बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति विधेयक, २००७ को सदन ने पारित किया ।

लोक महत्व के विषय पर विमर्श के तहत कुल तीन विषयों पर यथा- (1) राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का कार्यान्वयन (2) किरासन तेल की समस्या एवं (3) राज्य में नक्सली गतिविधि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सदन में सार्थक एवं गंभीरता से चर्चा हुई ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा- २९(२) के तहत बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, २००६, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, २००५ की धारा- ९९ के तहत अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-२८, दिनांक- ३०-०३-२००७, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-२००६ की धारा-११ के आलोक में वित्तीय वर्ष २००६-०७ के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान के चतुर्थ तिमाही के परिणाम तथा वित्तीय वर्ष २००६-०७ की उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रतियाँ सभा मेज पर रखीं गई । ..क्रमशः..

(क्रमशः) बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) एवं (वाणिज्यिक) सभा पटल पर रखे गये ।

इस सत्र के दौरान कुल-४२ गैरसरकारी संकल्प की सूचना प्राप्त हुयी, जिसमें सदन में व्यवस्थापन हेतु ४० स्वीकृत एवं ०२ अमान्य हुई । सदन में ३३ गैर सरकारी संकल्प की सूचना वापस ली गयी, ०५ सदन द्वारा स्वीकृत हुई और ०२ अपृष्ठ हुई ।

सत्र के दौरान कुल-६१० प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल-३७१ प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें १७ अल्पसूचित प्रश्न, २३९ तारांकित प्रश्न तथा ११५ अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से ५० प्रश्न उत्तरित हुए एवं ५१ प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । ०२ प्रश्न अपृष्ठ हुए एवं इनमें से २६८ प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक मामले सदन में उठाये गये । अनेक लोकहित के विषय पर सदन में सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिया गया ।

इस सत्र में कुल-७९ निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें २२ स्वीकृत हुए एवं ५७ अमान्य हुए । कुल-३३ याचिकाएँ प्राप्त हुई जिनमें से ०८ स्वीकृत एवं २५ अस्वीकृत हुई । इस सत्र में कुल-१११ ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई, जिनमें ०८ वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए जिसमें से ०८ पर सरकार द्वारा सदन में वक्तव्य दिये गये । शेष ७९ सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु विभागों को भेजे गये एवं २४ अमान्य हुए ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा लोकसभा टी०वी० के रचनात्मक सहयोग के लिये मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

****